ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर की थी राजा बाबू की हत्या, तीन गिरफ्तार

एसओजी, सर्विलांस व हरदत्तनगर गिरंट पुलिस टीम ने किया राजफाश

जासं • श्रावस्ती : हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र के भेसरी गांव निवासी युवक की हत्या ब्लैकमेलिंग के चलते हुई थी। एसओजी, सर्विलांस व हरदत्तनगर गिरंट पुलिस की संयुक्त टीम ने इसका राजफाश किया है। घटना में शामिल महिला समेत तीन आरोपितों को गुरुवार को गोपाला सराय जाने वाले तिराहे पर ट्यूबवेल के पास से दबोच लिया गया। हत्या में प्रयोग किए गए सामान भी बरामद हुए हैं।

पुलिस कार्यालय में हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपित के बारे में जानकारी देते एसपी घनश्याम चौरसिया (आगे मध्य में) • जागरण

भिनगा स्थित पुलिस कार्यालय में गुरुवार को एसपी घनश्याम चौरसिया ने हत्याकांड के बारे में बताया कि 31 जनवरी को हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र के भेसरी गांव निवासी राजा बाबू की हत्या के बाद शव गांव के पास बगीचे में पड़ा मिला था। मृतक के पिता ने जमीन के विवाद को लेकर पुत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। इसी आधार पर हरदत्तनगर गिरंट थाने में आठ नामजद व पांच अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की विवेचना में बहराइच जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के नगरौर निवासी रानू, उसकी पत्नी व बेरिया गांव के उपेंद्र यादव की संलिप्तता सामने आई। पुलिस टीम ने गुरुवार को तीनों आरोपितों को दबोच लिया। रानू ने बताया कि उसकी पत्नी का विवाह के पूर्व से ही राजा बाबू से संबंध था। शादी के बाद भी राजा बाबू उसे अश्लील फोटो व वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान होकर उसने पत्नी व उपेंद्र के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। 30 जनवरी की शाम रानू की पत्नी ने राजा बाबू को भेसरी गांव के पास आम के बाग में बुलाया। यहां छिपे रानू व उपेंद्र ने लोहे की चेन-पाइप और चाकू से उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, गियर चैन-पाइप, मृतक का मोबाइल कवर (खून लगा हुआ), एक मोबाइल फोन व बाइक बरामद की है।

इस टीम की मेहनत से हुआ राजफाश : गिरफ्तारी टीम में एसओजी प्रभारी नितिन यादव, मुख्य आरक्षी अवनीश विक्रम सिंह, आरक्षी वीरेंद्र यादव, अभिषेक सिंह, रिषभ गौड़, सर्विलांस सेल के अभिषेक सिंह, अमित पाल, चरन सिंह, हरदत्तनगर गिरंट थानाध्यक्ष शैलकांत उपाध्याय, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अंकुर वर्मा, उपनिरीक्षक मुहम्मद इमरान, अनीष गोड़, मुख्य आरक्षी विजयभान यादव, नीरज पाल सिंह, आरक्षी प्रवीन पांडेय, महिला आरक्षी अर्चना पांडेय व अर्जिता यादव शामिल रहे।

दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कैद, 12 हजार जुर्माना भी

अदालत से

श्रावस्ती, संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गुरुवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

19 नवम्बर 2016 में इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने इकौना थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि बच्छराज उर्फ बछऊ पुत्र राम अवतार निवासी चकवा अरकापुर थाना पयागपुर जिला बहराइच मेरी नाबालिग पुत्री को गलत नियत से बहला फुसला कर भगा ले गया है। काफी खोजबीन के बाद भी कहीं पता नहीं चल रहा है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बहला फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण न्यायालय में हो रहा था। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।